UPSR040044872026

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– (अलका पाण्डेय) - **उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP**01930

क्रिमिनल मिस/450/2026

विक्रम बनाम. अरविन्द

दिनांकः 11.09.2026

पत्रावली प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बीएनएसएस पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी ने अपना ट्रैक्टर बचकर दूसरा ट्रैक्टर देखने ग्राम तेंदुआ थाना हरदत्त नगर गिरन्ट गया था। दिनांक 26.05.2026 को शाम करीब 09.00 बजे प्रार्थी मल्हीपुर चौराहे पर पहुँचा चौराहे पर विपक्षी 1 ता 3 मिले। विपक्षीगण के साथ दो अन्य व्यक्ति थे जिनको वह नहीं जानता पहचानता था, जो शराब के नशे में थे। विपक्षी 1 ता 5 ने रात करीब 10 बजे प्रार्थी की मोटरसाइकिल पल्सर जिसका रजिस्ट्रेशन UP46N6244 है छीन लिया और मोटरसाइकिल की डिग्गी में 1,70,000/- रुपये रखा था, को विपक्षी संख्या- 1 ता 3 छीनकर मोटरसाइकिल लेकर जाने लगे। प्रार्थी ने रोका तो विपक्षी 1 ता 5 ने प्रार्थी को लात मूका थप्पड़ से मारा पीटा तथा प्रार्थी के साथ प्रार्थी का रिस्तेदार रक्षाराम वर्मा भी थे, बीच बराव कराने लगे तथा मोटरसाइकिल ले जाने से रोकने लगे तो उनको भी भद्दी-भद्दी गाली व जान माल की धमकी दिया तथा मोटरसाइकिल रुपये सहित लेकर चले गये। अतः मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना के आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी।

प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र पर थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र के तथ्यों के सम्बंध में कोई अभियोग थाना पर पंजीकृत नही है।

प्रार्थी ओर से प्रस्तुत तर्कों के आलोक में आवेदन अन्तर्गत धारा 173(4) बीएनएसएस व आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत समस्त कागजातों का अवलोकन किया।

विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि धारा 173(4) बीएनएसएस के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र को निस्तारण करते समय न्यायालय को न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग सजगता से करना चाहिए।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **मकसूद बनाम गुजरात राज्य (2008) 5,**

एस 0 सी0 सी0 668 में यह अवधारित किया गया है कि धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते समय मजिस्ट्रेट को अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करने के पश्चात् ही धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता का आदेश पारित करना चाहिए। मजिस्ट्रेट को यांत्रिक एवं कैजुअल तरीके से इस अधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **श्री निवास गुंडलरी व अन्य बनाम सेप्को इलेक्ट्रिक पावर कास्ट्रक्शन कारपोरेशन एवं अन्य, 2011 (1) सी0 सी0 एस 0 सी0, 171 (एस 0 सी0)** में यह सम्प्रेषण किया गया है कि आवेदन अन्तर्गत धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के निस्तारण के समय न्यायालय को सजग रहना चाहिए।

जी0 सागर सूरी प्रति उत्तर प्रदेश राज्य 2000 (2) एस 0 सी0 सी0 पेज 636 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि फौजदारी न्यायालय का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिये कि वह दीवानी प्रकृति के प्रकरण में पक्षकारों पर दबाब बनाने के लिए या हथियार के रूप में उपयोग में लाया जाये।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **प्रियंका श्रीवास्तव व अन्य प्रति उ 0 प्र 0 राज्य व अन्य (2015)6 ए 0 सी0 सी0 287 के पैरा 30 व 31 एवं विधि व्यवस्था ललिता कुमारी प्रति उत्तर प्रदेष राज्य व अन्य 2009(64) ए 0 सी0 सी0 2014** के सम्प्रेक्षित सिद्धान्तों के आलोक में आख्या आहूत की गयी। थाना प्रभारी मल्हीपुर द्वारा प्रकरण की जॉच कर आख्या प्रेषित की गयी जो पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त के अनुसार आवेदक विक्रम उपरोक्त विपक्षी अरविन्द व धर्मराज का मामा है तथा विपक्षी रामअचल का साला है। आवेदक ने विपक्षीगणो से ढ़ाई वर्ष पहले 2 लाख 31 हजार रूपये कई टुकड़ों में बहराइच में अपना मकान बनवाने हेतु लिया था। विपक्षीगणो ने आवेदक से रिश्तेदारी होने के नाते पैसा दे दिया था तथा आवेदक ने विपक्षीगणो से कहा था कि जब आप लोगो को पैसो की जरूरत होगी तो मैं भी आप लोगो का मदद कर दूंगा। विपक्षी अरविन्द शेटरिंग करने का काम लिया था जिसमें पैसो की जरूरत थी तब विपक्षी अरविन्द ने अपने मामा विक्रम से पैसा मांगा तो आवेदक ने पैसा देने में हीलाहवाली करने लगा। फिर दिनांक 26.05.26 को आवेदक द्वारा विपक्षी अरविन्द व धर्मराज को ग्राम ओरीपुरवा पैसो की लेन देन की बात करने के लिए बुला रहे थे तब विपक्षीगणो ने कहा कि मल्हीपुर चौराहा आओ फिर मल्हीपुर चौराहा पर आवेदक तथा विपक्षीगण अरविन्द व धर्मराज की मुलाकात हुई। जहां पैसो की लेने देने को लेकर दोनों पक्षो में कहासुनी हुई थी कोई मारपीट नहीं हुआ था। तब गुस्से में विपक्षी अरबिन्द ने आवेदक विक्रम का मोटरसाइकिल रख लिया कहा कि जब पैसा दोगो तो मोटरसाइकिल ले जाना। मल्हीपुर चौराहे पर विपक्षीगण के पिता रामअचल

मौजूद नहीं थे वे घर पर ग्राम मलंगगांव में थे। पैसो के लेन देन को लेकर दोनो पक्षो में विवाद है। तथा प्रार्थना पत्र में दर्शाये गये घटना दिनांक 26.05.2026 को विपक्षीगण द्वारा आवेदक के साथ गाली गलौज, मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने तथा गाड़ी में रखे 1 लाख 70 हजार छीनने के सम्बन्ध में जांच करने पर कोई साक्ष्य नही पाया जा रहा है आवेदक ने मात्र पुरानी पैसे के लेन देन के विवाद व पैसा न देना पड़े इसलिए अपने प्रार्थना पत्र में मनगढ़न्त कहानी बनाकर विपक्षीगणो के विरूद्ध उपरोक्त के सम्बन्ध में झूठा आरोप लगाया है। आवेदक विक्रम उपरोक्त द्वारा माननीय न्यायालय में दिए गये प्रार्थना पत्र में संदर्भित घटना दिनांक 26.05.2026 के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नही है न ही विवेचनाधीन है।

इस प्रकार आवेदक द्वारा प्रा० पत्र में विपक्षीगण के विरूद्ध जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगाये गये हैं उसके परिप्रेक्ष्य में थाना प्रभारी की जॉच आख्या में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आवेदक विक्रम विपक्षी अरविन्द व धर्मराज का मामा है। आवेदक ने विपक्षीगण से ढाई वर्ष पहले 2,31,000/– रुपये अपना मकान बनवाने हेतु लिया था। विपक्षीगण ने आवेदक से रिश्तेदारी होने के नाते पैसा दे दिया था। जब विपक्षी ने अपना पैसा मांगा तो आवेदक हीला हवाली करने लगा। पैसों के लेन देन को लेकर पक्षों में कहासुनी हुयी थी, कोई मारपीट नहीं हुयी थी। इस प्रकार स्पष्ट दर्शित है कि दोनों पक्षों के मध्य पैसे के लेन देन को लेकर मुख्य रूप से विवाद है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक द्वारा बकाया पैसा न देना पड़े इसलिए विपक्षीगण पर दबाव बनाने के उद्देश्य से तथ्यों का विलोपन करके यह प्रार्थना–पत्र प्रायोजित रीति से विपक्षीगण के विरूद्ध दायर कर दिया गया है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को किसी संज्ञेय अपराध का घटित होना नहीं पाया जाता है।

अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि प्रार्थी के आवेदन के सम्बंध में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना कराये जाने का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित व विधिसंगत नहीं है तथा आवेदन सारहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी विक्रम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) BNSS तदनुसार निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार दाखिल हो।

(अलका पाण्डेय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
श्रावस्ती